न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 58/2020

1– बनवारी लाल पुत्र सीताराम मीणा जाति मीणा निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–नायब तहसीलदार नावां, तहसील नांवा जिला नागौर, राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री बजंरग लाल वर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक30.9.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार नावां जिला नागौर मु0नं0 19/2020 अनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटवा बना बनवारी लाल अधीन धारा 91 (3) राजस्थान अधिनियम में पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 05.04.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार नांवा के प्रकरण सं0 19/2020 बअनुवान पटवारी हल्का घाटवा बनाम बनवारी लाल में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2020 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घाटवा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गैम0मु0 रास्ते पर छड़िया डालकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा घाटवा के खसरा नम्बर 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तथा पूर्व में भी दिनांक 21.08.2020 को अतिक्रमण किया था, इस अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा घाटवा के खसरा नम्बर 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर 0.54 का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 27/– अक्षरे सताईस रूपये कायम किया गया, तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। पटवारी हल्का को अप्रार्थी के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 07.10.20 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 16.10.20 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/1073 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

{3}(1)–यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नावां का निर्णय जैर अपील कतई गलत विधि विरूद्ध व विधिक प्रकिया अपनाये बिना आनन फानन में जल्दबाजी में बिना किसी आवश्यकता के पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि प्रकरण हाजा में पारित निर्णय में जिस भूमि खसरा नं0 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौजा घाटवा तहसील नावां को रास्ता बताया है वह भूमि न तो कभी रास्ता के रूप में रही, न काम आई न वर्तमान में कोई रास्ता है बल्कि उक्त भूमि मूल खसरा नं0 773 रकबा 1.05 हैक्टेयर की भूमि थी व है जो अपीलान्ट सहित दीगर सहखातेदारो के कब्जासुद खातेदारी की पुश्तैनी भूमि रही है तथा काश्त करने के काम में आ रही है। कथित मालसिंह के खेत खसरा नं0 772 व 771 में आवागमन के लिए अन्य वेकल्पिक रास्ता पीढियो से रहता चला आया है उसी से उसका आवागमन होता है खसरा नं0 773 में से कभी आवागमन नहीं हुआ था, उसने सरासर गलत तौर पर एक पक्षीय कार्यवाही के जरिये बाले बाले बिना आवश्यकता के केवल अपीलान्ट को तंग परेशान करने के लिए रास्ता हेतु धारा 251ए के तहत कार्यवाही करके आदेश पारित करवाया था जिसको सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां चुनोती दी जा चुकी है इस प्रकार जिस आदेश के जरिये कथित खसरा नं0 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौजा घाटवा तहसील नावां दर्ज हुआ है उसको सक्षम न्यायालय में चुनोती दी जा चुकी है जिसमें तहसीलदार नावां पक्षकार है तथा नायब तहसीलदार व तहसीलदार नावां को इसकी भली भांति जानकारी होते हुए भी उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही करके आदेश जैर अपील पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नावां ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना मौके पर जांच किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य सबूत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैतारण

जवाबदेही का अवसर दिये आनन फानन में उक्त आदेश पारित किया है व उसकी आड़ में अपीलान्ट को गिरफतारी का भय बताकर उसकी सहखातेदारी की भूमि में जबरन रास्ता कायम कराने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि बाबत अकेले अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय भी नहीं थी सहखातेदार व सहकाश्तकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होते हुए भी कोई अवसर नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 30.9.2020 व पूर्व का निर्णय दिनांक 19.8.2020 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। चूंकि मूल खसरा के सहखातेदारो में से एक खातेदार के विरूद्ध इस तरह की कार्यवाही की जाना स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध है इस कारण भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि हस्तगत आराजी खसरा नं0 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौजा घाटवा तहसील नावां के संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां अपील चल रही है जिसमें अंतिम निर्णय नहीं हुआ है उसके अंतिम निर्णय के पश्चात यह तय होगा कि कथित रास्ता है या खातेदारी की भूमि है उससे पूर्व कथित आदेश की आड़ में अपीलान्ट को दण्डित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है अन्यथा राजस्व अधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत अपील का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा, इन परिस्थितियों में आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि यहॉ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि कथित मालसिंह अपीलान्ट व उसके परिवार से अदावत रखता है इस कारण पहले तो उसने धारा 251ए राज0टि0एक्ट के प्रकरण में बाले बाले आदेश पारित करवा लिया व उसकी आड़ में रेकर्ड में तब्दीली करवा ली व तत्पश्चात जल्दबाजी में पटवारी हल्का पर नाजायज दबाव बनाकर मिथ्या रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध करवा कर पहले दिनांक 19.8.2020 को एकपक्षीय आदेश बेदखली का करवा लिया व उसके तुरन्त पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करवा कर सिविल कारावास से दण्डित कराने के दुराशय से पुनः पटवारी हल्का से मिथ्या रिपोर्ट करवा कर यह पश्चातवर्ती आदेश जैर अपील पारित करवाया है जबकि न तो पूर्व में कभी बेदखल किया गया न ऐसी कोई रिपोर्ट है न मौके पर बेदखली के लिए योग्य है। जबकि मौके पर अपीलाट व दीगर सहखातेदारों का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहता चला आया है ऐसी स्थिति में धारा 91 राज0 भूराजस्व अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही शुरू से ही अवैध, शुन्य थी व है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है क्योकि मूल विवाद राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय में विचाराधीन है उसमें निर्णय होना शेष है उससे पूर्व ही यदि मौके से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया तो उक्त अपील का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा।

{3}(6) – यह है कि यहॉ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि वर्तमान में कोराना जैसी महामारी चल रही है और इन परिस्थितियों में एक खातेदार को सुनवाई, साक्ष्य जवाबदेही का अवसर दिये बिना बाले बाले उसकी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित करना कतई विधि सम्मत नहीं है जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त/निरस्त संशोधित किये जाने योग्य है।

{3}(7) – यह है कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित कोई रास्ता मौके पर नहीं है जब रास्ता ही मौके पर नहीं है तो तथाकथित रास्ता के संबंध में धारा 91राज0भू राजस्व अधिनियम की चलने योग्य नहीं थी न है पूर्व में धारा 251ए राज0 टि0 एक्ट के तहत भी मिथ्या कार्यवाही कर आदेश पारित करवाया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या /2020 चल रही है जिसकी आगामी पेशी 8.10.2020 नियत है ऐसी स्थिति में हस्तगत आदेश जैर अपील की पालना व कियान्विती रोकी जाना आवश्यक व न्याय संगत है अन्यथा अपीलान्ट के विधिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा, उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होगा।

{4}– अपीलान्ट/अप्रार्थी ने अपील को अन्दर मियाद हेतु अपनी अपील में बताया कि उसे निर्णय की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी, हाल ही में जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया व नकलो का आवेदन पेश करने पर दिनांक 5.10.2020 को पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई जिससे अपील को अन्दर मियाद शुमार मानी जावे। अतः अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी प्रतिलिपि दिनांक 5.10.20 लेने से हुई होने से अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी घाटवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक घाटवा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम घाटवा, के खसरा नम्बर 1084/773 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता पर छड़िया डालकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी दिनांक 29.9.2020 को स्वमं मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुवे, तथा जवाब हेतु समय चाहा, दिनांक 30.9.2020 को जवाब नहीं दिया तथा अनुपस्थित पाये गये। उक्त प्रकरण कटटाणी रास्ते पर अतिक्रमण से सम्बन्धीत है, जो राजकीय भूमि है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावती का अवलोकन किया। अपीलान्ट का नोटिस स्वयं अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा तामील किया गया है तथा अपीलान्ट स्वंय दिनांक 29.9.2020 को मय अधिवक्ता उपस्थित हुए है। जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्णरूप सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया है तथा अपीलनान्ट उक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से छड़िया डालकर सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है जो गै0मु0 रास्ते की भूमि है तथा जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधिकारी में अपील किया जाना अंकित किया है लेकिन अपील संख्या भी अंकित नहीं की तथा न ही वतमान स्थिति बताई गयी है। अपीलान्ट ने इस बाबत पेश अपील की नकल आदि भी प्रस्तुत नहीं की है न ही माननीय न्यायालय का स्टे आदि होना जाहिर किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही हैं। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने शपथ पत्र पेश कर बताया है कि उसने विवादित भूमि से अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है, के आधार पर सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: <u>आदेश</u> ::::

अपीलान्टगण के शपथ पत्र के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2020 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में अपीलान्ट का इस भूमि पर कब्जा नहीं है अथवा हटा लिया है,

इस बाबत नायब तहसीलदार नांवा, पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करेगें। यदि अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में की गयी स्वीकारोक्ति के अनुसार कब्जा नहीं छोड़ा है तो तहसीलदार 15 दिन के अन्दर जरिए पुलिस अपीलान्ट का कब्जा हटावें।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)